

DISTRICT MAGISTRATE OFFICE GHAZIABAD
Letter No :- 227 /St-ADM(City)/2020 Dated 16-06-2020

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi,

E-mail- judicial-ngt@gov.in & ngt.filling@gmail.com

Sub: Compliance report in compliance to order passed by Hon'ble NGT, New Delhi on dated 12.02.2020 in matter of O.A. No. 39/2030, Jagveer Versus State of U.P &Ors

Sir,

With reference to the above subject mentioned above, in compliance to the order passed by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi on dated 12.02.2020 in matter of OA No. 39/2020, Jagveer Versus State of U.P &Ors, the compliance report is submitted for your kind perusal and necessary action please.

Yours Sincerely



Additional District Magistrate (City)
Ghaziabad

Copy to:

- 1- District Magistrate, Ghaziabad .
- 2- Standing Counsel, Hon'ble National Green Tribunal on behalf on District Administration, Ghaziabad for perusal and necessary action.



Additional District Magistrate (City)
Ghaziabad

Report in compliance to order passed by Hon'ble NGT, New Delhi on dated 12.02.2020 in matter of O.A. No. 39/2030, Jagveer Versus State of U.P & Ors

Hon'ble National Green Tribunal passed the following order on 12.02.2020 in O.A. No. 39/2020, Jagveer Versus State of U.P&Ors.:-

" Grievance in this application is against encroachment of a pond in Village LatifpurTibra, Dist. Ghaziabad. Let the District Magistrate, Ghaziabad furnish a factual and action taken report in the matter within one month by email at judicial-ngt@gov.in.

A copy of this order be sent to the District Magistrate, Ghaziabad for compliance by email. The applicant may furnish a set of papers to the District Magistrate, Ghaziabad and file an affidavit of service within one week.

List for further consideration on 17.04.2020."

In compliance to the above order, District Magistrate, Ghaziabad vide order no 624/ST-DM Dated 15.2.2020 directed Sub- Divisional Magistrate, Modinagar to comply with the directions issued by Hon'ble Tribunal. (Copy of order annexed as **annexure 1**). Sub-Divisional Magistrate vide letter no 3904/R.Ka-Modinagar/2020 dated 19.2.2020 constituted a committee of revenue department directing the committee to inspect the ponds situated at Village LatifpurTibra and submit the compliance report. (Copy of order annexed as **annexure 2**).

As per the report of Tehsildar Modinagar, there are 03 ponds situated at Village LatifpurTibra, Modinagar. As per the report, following are the findings :-

Sl no	Details of Ponds		Encroachment area of pond	Details of persons responsible for encroachment	Action taken against violator	Remarks
	Khasra	Area (Hectare)				
1	148-A	0.063	83 sq. meter	Jaiveer Singh S/o Harswaroop, Village LatifpurTibra, Modinagar	Suit no T202011280201845 pending under Court of Tehsildar, Modinagar under Uttar Pradesh Revenue Act 2006 in Section 67(1)	
2	239	0.974	60 sq. meter	Chandveer S/o Hukum Singh, Village LatifpurTibra, Modinagar	Suit no T202011280201846 pending under Court of Tehsildar, Modinagar under Uttar Pradesh Revenue Act 2006 in Section 67(1)	
3	538	0.253	0	-	-	No encroachment found

As per the above, 03 ponds are situated in the village LatifpurTibra, Modinagar, Ghaziabad out of which in 02 ponds, partial encroachments have been found. Action against the violating persons have been initiated and suit against the responsible persons are under process, which shall be processed and encroachments shall be removed accordingly. Report of Tehsildar, Modinagar and revenue records of the ponds have been annexed as **annexure 3**.

The report in the aforesaid matter is put up for your perusal and necessary action please.


अपर जिलाधिकारी (नगर)
गाज़ियाबाद

प्रेषक:

उपजिलाधिकारी
मोदीनगर

सेवा में

जिलाधिकारी
गाजियाबाद

पत्रांक 2906 / एस0टी0-एस0डी0एम0 / मोदीनगर / 2020

दिनांक:- 15 मई, 2020

कृपया संलग्न मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की प्रमुख पीठ, नई दिल्ली द्वारा मूल एप्लीकेशन नं0 39/2020 जगवीर बनाम स्टेट आफ यूपी एंड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 12.02.2020 पर अपने पृष्ठांकन आदेश सं0 624/एस0टी0-डी0एम0 दिनांक 15.02.2020 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की प्रमुख पीठ, नई दिल्ली द्वारा मूल एप्लीकेशन नं0 39/2020 जगवीर बनाम स्टेट आफ यूपी एंड अदर्स ग्राम लतीफपुर तिबडा में पारित आदेश दिनांक 12.02.2020 में शपथ दाखिल किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि प्रकरण में तहसीलदार मोदीनगर को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।

तहसीलदार मोदीनगर द्वारा अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की प्रमुख पीठ, नई दिल्ली द्वारा मूल एप्लीकेशन नं0 39/2020 जगवीर बनाम स्टेट आफ यूपी एंड अदर्स ग्राम लतीफपुर तिबडा में पारित आदेश दिनांक 12.02.2020 के क्रम में ग्राम लतीफपुर तिबडा के तालाब के गाटा संख्या 148क, 239, 538 की पैमाईश टीम का गठन कर करायी गयी। तालाब के गाटों की पैमाईश की गई पैमाईश में गाटा संख्या 148के रकबा 0.063 है0 के रकबा 83 वर्ग मीटर पर जयवीर पुत्र हरस्वरूप निवासी ग्राम लतीफपुर तिबडा का अनाधिकृत कब्जा पाया गया तथा गाटा संख्या 239 रकबा 0.974 है0 के रकबा 60 वर्ग मीटर पर चांदवीर पुत्र हुकम सिंह निवासी ग्राम लतीफपुर तिबडा का अनाधिकृत कब्जा पाया गया। उक्त दोनो कब्जे धारियों के विरुद्ध उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 67(1) के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार मोदीनगर में बेदखली की कार्यवाही विचाराधीन है। विवरण निम्नवत है-

क्र0 सं0	ग्राम का नाम	तालाब का विवरण		अतिक्रमित क्षेत्रफल	अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति का नाम व पिता का नाम व पता	अतिक्रमण कर्ता के विरुद्ध की गयी कार्यवाही	विवरण
		खसरा	रकबा (है0)				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	लतीफपुर तिबडा तहसील मोदीनगर	148क	0.063	83 वर्गमीटर	जयवीर सिंह पुत्र हरस्वरूप नि0ग्राम	उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 67(1) के अन्तर्गत	न्यायालय तहसीलदार मोदीनगर में वाद टी202011280201845 विचाराधीन है
2		239	0.974	60 वर्गमीटर	चांदवीर पुत्र हुकम सिंह नि0ग्राम	उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 67(1) के अन्तर्गत	न्यायालय तहसीलदार मोदीनगर में वाद टी202011280201846 विचाराधीन है
3		538	0.253	0	-	-	मौके पर पूर्ण रूप से खाली है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि ग्राम में तीन तालाबों में से एक तालाब रिक्त तथा दो तालाबों के आंशिक भाग पर यानि 143 वर्ग मि0 पर अवैध अतिक्रमण है जिसके विरुद्ध बेदखली वाद विचाराधीन है जिसका शीघ्र निस्तारण कर तालाब को कब्जा मुक्त करा दिया जायेगा। मौके का नजरी नक्शा व नकल खतौनी एवं 67(1) की रिपोर्ट की छाया प्रति एवं मौके पर की गयी पैमाईश के समय उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर की प्रति संलग्न है। तहसीलदार मोदीनगर की आख्या दिनांक 12.05.2020 मूल रूप में इस पत्र के साथ अग्रसारित की जा रही है। आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(सौम्या पाण्डेय)

आई.ए.एस.

ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी
मोदीनगर

उपजिलाधिकारी
मोदीनगर

महोदया,0

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की प्रमुख पीठ, नई दिल्ली द्वारा मूल एप्लीकेशन नं0 39/2020 जगवीर बनाम स्टेट आफ यूपी एंड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 12.02.2020 को आदेश पारित किये गये हैं, का एवं अपने पृष्ठांकन आदेश दिनांक 17.02.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की प्रमुख पीठ, नई दिल्ली द्वारा मूल एप्लीकेशन नं0 39/2020 जगवीर बनाम स्टेट आफ यूपी एंड अदर्स ग्राम लतीफपुर तिबडा में पारित आदेश दिनांक 12.02.2020 में शपथ दाखिल किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की प्रमुख पीठ, नई दिल्ली द्वारा मूल एप्लीकेशन नं0 39/2020 जगवीर बनाम स्टेट आफ यूपी एंड अदर्स ग्राम लतीफपुर तिबडा में पारित आदेश दिनांक 12.02.2020 के क्रम में ग्राम लतीफपुर तिबडा के तालाब के गाटा संख्या 148क, 239, 538 की पैमाईश टीम का गठन कर करायी गयी। तालाब के गाटों की पैमाईश की गई पैमाईश में गाटा संख्या 148के रकबा 0.063 है0 के रकबा 83 वर्ग मीटर पर जयवीर पुत्र हरस्वरूप निवासी ग्राम लतीफपुर तिबडा का अनाधिकृत कब्जा पाया गया तथा गाटा संख्या 239 रकबा 0.974 है0 के रकबा 60 वर्ग मीटर पर चांदवीर पुत्र हुकम सिंह निवासी ग्राम लतीफपुर तिबडा का अनाधिकृत कब्जा पाया गया। उक्त दोनो कब्जे धारियों के विरुद्ध उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 67(1) के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार मोदीनगर में बेदखली की कार्यवाही विचाराधीन है। विवरण निम्नवत है-

क्र0 सं0	ग्राम का नाम	तालाब का विवरण		अतिक्रमित क्षेत्रफल	अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति का नाम व पिता का नाम व पता	अतिक्रमण कर्ता के विरुद्ध की गयी कार्यवाही	विवरण
		खसरा	रकबा (है0)				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	लतीफपुर तिबडा तहसील मोदीनगर	148क	0.063	83 वर्गमीटर	जयवीर सिंह पुत्र हरस्वरूप नि0ग्राम	उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 67(1) के अन्तर्गत	न्यायालय तहसीलदार मोदीनगर में वाद टी202011280201845 विचाराधीन है
2		239	0.974	60 वर्गमीटर	चांदवीर पुत्र हुकम सिंह नि0ग्राम	उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 67(1) के अन्तर्गत	न्यायालय तहसीलदार मोदीनगर में वाद टी202011280201846 विचाराधीन है
3		538	0.253	0	-	-	मौके पर पूर्ण रूप से खाली है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि ग्राम में तीन तालाबों में से एक तालाब रिक्त तथा दो तालाबों के आंशिक भाग पर यानि 143 वर्ग मि0 पर अवैध अतिक्रमण है जिसके विरुद्ध बेदखली वाद विचाराधीन है जिसका शीघ्र निस्तारण कर तालाब को कब्जा मुक्त करा दिया जायेगा। मौके का नजरी नक्शा व नकल खतौनी एवं 67(1) की रिपोर्ट की छाया प्रति एवं मौके पर की गयी पैमाईश के समय उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर की प्रति संलग्न है।

आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक-यथोपरि।

12-5-2020
तहसीलदार
मोदीनगर

सूचना

कानून व्यवसाय के अधीन 3904/20 का नोदी
 नगर 12020 दिनांक 19 फरवरी 2020 व्यवसाय द्वारा
 गठित टीम के सदस्य सुनेश्वरि प्र 20 निरीक्षक मोदीनगर
 संजय कुमार लोखपाल व सतन देव लोखपाल के साथ ग्राम
 लतीमपुर विन्डा तहसील मोदीनगर जिला शा. 004 में स्थित
 जोड़ 148 के ख. नं. 239 व ख. नं. 538 की भूमि पर
 जाकर शक चदान व डम्प संग्रान्त वस्तुओं के सम्बन्ध
 पैमाना कर गैरितिक सहायता क्रिया गया। वर्तमान में ख. नं.
 148 के रकबा 0.063 हे. के 12x7m = 84 वर्ग मीटर पर जापरि पुन
 हरखरूप निवासी शक व ख. नं. 239 रकबा 0.974 हे. के
 20m x 3m = 60 वर्ग मीटर पर चांदवीर पुन हुनकरिहे का नोदी
 उगावारी कर्जा प्राप्त गया। ख. नं. 538 रकबा 0.253 हे
 भूमि पर पुन रकबा से खाली प्राप्त गया। इनके उगावारी
 शक लतीमपुर विन्डा में डम्प कोड़ी तालाब मालकावतान में
 दर्ज नहीं है। उक्त तालाबों की शुक्ति पर उगावारी कर्जे -
 धारिता के विलान चर 67 (1) की कार्यवाही विचारणीय
 है। निवासी द्वारा उक्त कालक है। जोड़ का नतीजा नका
 भी संलग्न है। निवासी रकबा के जाकर है।

महोदय

उपरोक्तपुन लोखपाल जी शर्म
 पर राजस्व नीम गठित का पैमाना
 उपरान्त 67 (1) की कार्यवाही करा
 की गयी है। शक नतीजा संलग्न है।


20/3/2020
 बनवारी लाल शर्मा
 पत - लोखपाल
 मोदीनगर

20/3/2020
 सुनेश्वरि नास्याना
 प्रो राजस्व निरीक्षक
 मोदीनगर (लोखपाल)

सं राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण की प्रमुख पीठ नई दिल्ली द्वारा मूल
 राफली केशन नं० 39/2020 जगदीर बगम स्टेट आफ यू.पी. राण्ड अदर्स
 में पोस्ट आदेश क्र० 12-2-2020 के अनुपालन में ग्राम ललीमपुर तिवड़ा के
 तालावां का भूके पर सर्वे रिपोर्ट नजदी नम्बरा



आलेखन की गई शक्ति पर
 चार 67 (1) की कार्यवाही
 विचारधीन है। तन्नालाव
 मन्थि से दर्शाई गई है।




ग्राम ललीमपुर तिवड़ा की आबादी का भू रास्ता


आलेखन की गई शक्ति पर
 चार 67 (1) की कार्यवाही
 विचारधीन है। तन्नालाव
 मन्थि से दर्शाई गई है।

ग्राम की सदान आबादी

खसरा नं० 239
 रकबा 0.974 हे



खसरा नं० 538
 रकबा 0.253
 पुर्णतया भूके
 मालकी है।



[Signature]
 20-3-2020

[Signature]
 20/3/2020
 जगदीर बगम रामो
 पद - सहायक
 सहायक सहायक

[Signature]
 20/3/20
 मुकेश गोस्वामी
 प्र० राजस्व निरीक्षक
 रोदीनगर (नालावा)

[Signature]

आज दिनांक 20.2.2020 को नाला तहसीलदार मध्य
द्वारा गाईव राक्षस रोम के द्वारा लता लतीफपुर तिवड़ा
राष्ट्रीय-गोदीनगर में स्थित लोहड बरान नं० 148, 239 व 538
की मौके पर पेशावर भी गहरी। मौके पर लता लतीफपुर
व अन्य लता लतीफपुर रहें।

[Signature] 7409818650

[Signature]

9897120014

[Signature]

9761244943

सदस्य क्षेत्र पंचायत
बार्ड-47, लतीफपुर तिवड़ा
विखंड भोजपुर (गाणबाद)

[Signature]
Sucheta

[Signature]
20/2/2020

विपिन 9997016864

सोनी 9927112669

[Signature]
21/02/2020

[Signature]
Sucheta



17.3.20

आर०सी० प्रपत्र-19
(वेधे नियम-00)

सहायक कलेक्टर को भूखण्ड के सम्बन्ध में धारा 87(1) द्वारा अपेक्षित सूचना
भूखण्ड संख्या 148 क क्षेत्रफल 0.063 लक्कीपुर तिकड़ा
ग्राम लक्कीपुर तिकड़ा परगना लक्कीपुर तिकड़ा तहसील मोदीनगर जिला गाजियाबाद
सेवा में

सहायक कलेक्टर/तहसीलदार

तहसील मोदीनगर


जिला गाजियाबाद

महोदय,

श्री जयवीर पुत्र हरशरवत निवासी लक्कीपुर तिकड़ा परगना लक्कीपुर तिकड़ा तहसील मोदीनगर जिला गाजियाबाद ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकारी

को प्रदत्त भूमि जिसका विवरण नीचे दिया गया है का अवैध रूप से अध्यासन किया है

दुर्विनियोजन कारित किया है या कारित कर रहा है :-



(1) भूखण्ड संख्या 148 क

(2) ग्राम लक्कीपुर तिकड़ा

(3) तहसील मोदीनगर

(4) भूखण्ड का क्षेत्रफल 12m x 7m = 84 वर्गमीटर

(5) नुकसान/दुर्विनियोजन/अवैध अध्यासन का विवरण पक्का मकान बना कर

(6) अवैध अध्यासन का वर्ष 1426 F से पूर्व

(7) कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल रेट के अनुसार आंगणित सम्मति का बाजार मूल्य 30000/900000000

(8) दावाकृत नुकसानी 252000/2

अतः आपसे निवेदन है कि है उपरोक्त अवैध अध्यासी के विरुद्ध नुकसानी/प्रतिकर की वसूली के सम्बन्ध में और अवैध अध्यासी की बेदखली के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

दिनांक 17/3/2020

भूमि प्रबन्धक समिति का अध्यक्ष/सदस्य/सचिव
अथवा ग्राम सभा का कोई अन्य सदस्य

17/3/2020
गाजियाबाद जिला
मोदीनगर तहसील

एनपीएच विवरण

एनपीएच विवरण

तहसील

जिला

पंचायत संख्या

पृष्ठ संख्या

उपखंड का नाम

परतना

तहसील

जिला

पंचायत संख्या

पंचायत संख्या

पृष्ठ संख्या

खेत की संख्या	सो.सं.सं. संख्या	सो.सं.सं. संख्या	सो.सं.सं. संख्या	खेतों वाले के नामों का अनुसार खेतों का नाम	खेतों के नाम अनुसार खेतों के नाम यदि कोई हो	खेतों के नाम अनुसार खेतों के नाम यदि कोई हो	सिंचाई की रीति और ऋतु	कृषि (फसलों वाली पृथि) का क्षेत्रफल										कुल		
								खंड	रबी	जायद	दो फसलों क्षेत्रफल	सिंचन खेतों के नामों के अनुसार अग्रिमिक मुक्त क्षेत्र	क्षेत्र	प्रत्येक खेत के लिए बड़े हुए पुराने की संख्या और किस						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
148	6.663	357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

एनपीएच विवरण

एनपीएच विवरण

नकल कम्प्यूटराइज्ड खेतों की

तहसील : आदित्य जलपद : आदित्य सं. : 14232 ना 14282

तहसील : आदित्य जलपद : आदित्य सं. : 14232 ना 14282

फसली

खेतों की संख्या	खेतों का नाम	मि.सं. / यदि संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भूमिक अधिकार प्रारंभ होने का दिनांक	प्रति म.सं. क्षेत्रफल (हि.)	खेतों द्वारा देय मासखानों या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उक्तता ताराना उक्त संख्या तथा द्वितीय संश्लिष्ट और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	दिशाना				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1	357	357	-	148	6.663	239	8.324	538	0.253	3	1-230	13

कृषि विभाग, जलपद, पेट. सं. : 2420955

सर्व प्रतिनिधि

नकल संरक्षण व तीसरे

नकल संरक्षण व तीसरे

आर०सी० प्रपत्र-19
(वेधे नियम-00)


17.3-20

सहायक कलेक्टर को भूखण्ड के सम्बन्ध में द्वारा 07(1) द्वारा अपेक्षित सूचना
भूखण्ड संख्या 239 क्षेत्रफल 6.974 एक्सीमपुर विक्डा ग्राम लतीमपुर विक्डा तहसील जिला
सेवा में जलालाबाद मोदीनगर गा. वि. पा. बा. 17/3-20

सहायक कलेक्टर/तहसीलदार
तहसील मोदीनगर
जिला गा. वि. पा. बा. 17/3-20
महोदय, श्री चोदवीर हुन्मारी ई. लतीमपुर विक्डा जलालाबाद
पुत्र निवासी ग्राम परगना

तहसील मोदीनगर जिला गा. वि. पा. बा. 17/3-20 ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकारी

को प्रदत्त भूगो जिसका विवरण नीचे दिया गया है का अवैध रूप से अध्यासन किया है या नुकसानी
दुर्विनियोजन कारित किया है या कारित कर रहा है :-



- (1) भूखण्ड संख्या 239
- (2) ग्राम लतीमपुर विक्डा
- (3) तहसील मोदीनगर
- (4) भूखण्ड का क्षेत्रफल 20 x 3 = 60 वर्ग मीटर
- (5) नुकसान/दुर्विनियोजन/अवैध अध्यासन का विवरण पक्का नकसा लतीमपुर
- (6) अवैध अध्यासन का वर्ष 1427 से पूर्व
- (7) कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल रेट के अनुसार आगणित सम्पत्ति का बाजार मूल्य 180,000 = 00
- (8) दावाकृत नुकसानी 9000 = 00 रु.

अतः आपसे निवेदन है कि है उपरोक्त अवैध अध्यासी के विरुद्ध नुकसानी/प्रतिकर की वरूली के सम्बन्ध में और अवैध अध्यासी की बेदखली के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

दिनांक 17/3/2020

भूमि प्रबन्धक समिति का अध्यक्ष/सदस्य/सचिव
अथवा ग्राम सभा का कोई अन्य सदस्य

17/3/2020
[Signature]
[Stamp]

कार्यालय

पत्रांक 3904 / 20का10-मोदीनगर/2020

तहसीलदार

मोदीनगर

दिनांक:- 17 फरवरी, 2020

राजस्व निरीक्षक

मोदीनगर

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की प्रमुख पीठ, नई दिल्ली द्वारा मूल एप्लीकेशन नं0 39/2020 जगवीर बनाम स्टेट आफ यूपी एंड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 12.02.2020 को आदेश पारित किये गये हैं, जिसके अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद द्वारा प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाना है।

अतः ग्राम लतीफपुर तिबडा के तालाबों का मौके पर सर्वे/पैमाईश कर एक सप्ताह के अन्दर आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु टीम निम्न प्रकार गठित की जाती है-

1. श्री मुकेश गिरी प्र0रा0निरीक्षक मोदीनगर

2. श्री बनवारीलाल शर्मा लेखपाल

3. श्री संजय कुमार लेखपाल

4. श्री चन्द्रपाल गिरी लेखपाल

आपको उक्त आदेश की प्रति संलग्न करते हुए निर्देशित किया जाता है कि गठित टीम को साथ लेकर नियत समय अवधि में अधोहस्ताक्षरी को आख्या उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें जिससे जिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद को आख्या प्रस्तुत की जा सके। क्योंकि मा0 न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाना है। इसमें किसी भी प्रकार की उदासीनता/लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।

संलग्नक-यथोपरि।

तहसीलदार

मोदीनगर

प्रतिलिपि- उपजिलाधिकारी महोदय मोदीनगर को सादर सूचनार्थ।

तहसीलदार

मोदीनगर

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 39/2020

Jagveer

Versus

Applicant(s)

State of U.P. & Ors.

Respondent(s)

Date of hearing: 12.02.2020

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE S.P WANGDI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. NAGIN NANDA, EXPERT MEMBER
HON'BLE MR. SIDDHANTA DAS, EXPERT MEMBER

ORDER

Grievance in this application is against encroachment of a pond in Village Latifpur Tibra, Dist. Ghaziabad.

Let the District Magistrate, Ghaziabad furnish a factual and action taken report in the matter within one month by email at judicial-ngt@gov.in.

A copy of this order be sent to the District Magistrate, Ghaziabad for compliance by email.

The applicant may furnish a set of papers to the District Magistrate, Ghaziabad and file an affidavit of service within one week.

List for further consideration on 17.04.2020.

No. 624/2020
दि. 15/2/20
SDM(modi)

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत
के अन्तर्गत कार्यवाही
आवश्यक है।

D.M.
S.P.
15/2

Adarsh Kumar Goel, CP

S.P Wangdi, JM

दि. 15/2/20
हस्ताक्षर
S.P. Wangdi
17/2/20

Dr.Nagin Nanda, EM

Siddhanta Das, EM

February 12, 2020
Original Application No. 39/2020
AK

